

## आईएस 1417:2016

### स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातु, आभूषण शिल्पकारी परिशुद्धता एवं मुहरांकन

#### विषय क्षेत्र:

स्वर्ण मात्रा के आधार पर, मानक में बुलियन एवं सोने के सिक्कों के निर्माण के लिए प्रयुक्त शुद्ध स्वर्ण एवं मानक के ग्रेडों को निर्दिष्ट किया गया है। मानक में स्वर्ण आभूषण/ शिल्प वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त स्वर्ण मिश्रधातु के तीन ग्रेडों एवं शुद्धता के मुहरांकन के लिए मार्गदर्शी एवं परीक्षित बुलियन, सिक्कों एवं आभूषण/शिल्प वस्तुओं संबंधी अन्य विवरण भी निर्दिष्ट हैं।

#### अपेक्षाएँ

- स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रधातुओं को उनकी शुद्धता के अनुरूप निम्नलिखित ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है:
- | ग्रेड        | शुद्धता | कैरेट |
|--------------|---------|-------|
| शुद्ध स्वर्ण | 999     | -     |
| मानक स्वर्ण  | 995     | -     |
| 916.6        | 916     | 22    |
| 750          | 750     | 18    |
| 585          | 585     | 14    |
- स्वर्ण आभूषण/शिल्प वस्तुओं, बुलियन एवं सिक्कों में स्वर्ण मात्रा संबंधी किसी प्रकार की ऋणात्मक छूट की अनुमति नहीं दी गई है
  - शुद्ध स्वर्ण एवं मानक स्वर्ण के ग्रेड केवल स्वर्ण बुलियन एवं स्वर्ण सिक्कों के लिए हैं।
  - 22 कैरेट, 18 कैरेट एवं 14 कैरेट के तीन ग्रेड स्वर्ण आभूषण एवं शिल्प वस्तुओं के लिए हैं।

#### मुहरांकन

हॉल मार्किंग निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी:

क) स्वर्ण आभूषण/शिल्प वस्तुओं को केवल बीआईएस मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों द्वारा हॉलमार्क के रूप में मानक मुहर लगाई जायेगी। हॉलमार्क की गई वस्तुओं पर निम्नलिखित मुहर लगी होंगी :

- 1) बी आई एस मुहर;
- 2) कैरेट एवं शुद्धता में शुद्धता
- 3) मूल्यांकन (एसे) केन्द्रों की पहचान मुहर; एवं

4) स्वर्णकार की मुहर/ निर्माणकर्ता का पहचान चिन्ह  
ख) बीआईएस द्वारा प्रदान लाइसेंस के तहत हॉलमार्क किए गए स्वर्ण बुलियन एवं स्वर्ण सिक्कों पर निम्नलिखित मुहरें लगाई जायेंगी :

- 1) बीआईएस की मानक मुहर;
- 2) परिशुद्धता
- 3) निर्माणकर्ता का नाम/पहचान; एवं
- 4) क्रम संख्या

नोट: सिक्कों के मामले में, क्रम संख्या पैकेजिंग पर लगाई जाये।